



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी:- विकास शर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 17/2025 प्रा0पत्र

अनवान

1. पूरण सिंह पुत्र नवल सिंह।
2. तेजी पुत्री सवाई सिंह।
3. प्रेम सिंह पुत्र सवाई सिंह।

समस्त जाति रावत उम्र वयस्क निवासीयान चौकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. राजू सिंह पुत्र वीरम सिंह जाति रावत उम्र वयस्क निवासी चौकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थिति:-

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मिठा सिंह चौहान
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक:- 30/10/25

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की ग्राम चौकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2074-2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी से खाता संख्या 223 की भूमि आराजी संख्या 2606, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 3928 एवं 3929 हमारे खातेदारी दर्ज चली आ रही है। खाता संख्या 223 में केवल मात्र आराजी संख्या 3929 ही विवादित है। शेष खसरान संबंधित कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नहीं होने की वजह से आए दिन घास काटते एवं फसल बोते वक्त और पेड़-पौधे की डालिया जानवरों के लिए काटते वक्त हर समय विवाद होता रहता है एवं बार-बार परिशान्ति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है। हम प्रार्थीगण उक्त भूमि की पाल-डोल लगाकर उन्नत एवं विकसित करना चाहते हैं। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

for

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षी अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरो की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम चौकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा की नकल, जमाबंदी वर्ष 2074-2077 में प्रार्थीगण सह खातेदार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चौकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2074-2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी से खाता संख्या 223 की भूमि आराजी संख्या 2606, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 3928 एवं 3929 में से केवल मात्र आराजी संख्या 3929 रकबा 0.2707 है 0 भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



fher
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमंद